□□□□ □□□□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्र□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□□ : 33
21 □□, 2019 □□ □□□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त□□

□ल□□-ड्रग रेसिस्टेंट टीबी

33. □□ □□□□ □□□ □□□□:

श्री फिरोज़ वरुण गांधीः

क□□ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री □□ □□□□□□ो □□□ □□□□ि□□

(□) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन टीबी रिपोट, 2018 □□□□□□□, भारत म दुनिया म टीबी के □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□10 □□□□□□□ □□□□□ों □□□□□□□ 27 प्रतिशत ह;

(□) □ि□ □□,□□ □□ □□ □□□□□ □ो क□□ प्रतिक्रिया है;

(□) क्या देश म मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी से □□□□□ □□□□ों को संख्या दुनिया म सबसे अधिक □;□

(□) □ि□ □□,□□ □त□□□□ ब्यौरा क्या है और □□□□□□□□□ □□ीं □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ रोगियों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-□□□ □ख□□ ि□□□□ □;□□

(□) □□□□□ द्व□□□ □□□□□□ि□□ प्र□□□□□ (एबीआर) का एक घटना के रूप म उनसे लड़ने □□ □□□□ □□ □□ □□□□ों □□ □□□□□□□□□□□□□□□□ क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे ह?

<u>□त□□</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री□ (श्री □□श्वि□□ □□□□ □□□)□

(क): ग्लोबल टीबी रिपोट 2018 के अनुसार भारत म तपेदिक को अनुमानित घटना वष 2017 के लिए 204 प्रति लाख आबादी है। भारत म प्रतिवष 27.4 लाख अनुमानित टीबी के नए मामले ह, □□ □□ □ख□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□, प्रति लाख आबादी पर तपेदिक को घटनाओं □□□□□□□□, □□□□ □□श□ □ 35□ स□□□ □□ □□

(ख): मंत्रालय ने टीबी को 2025 तक समाप्त करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय तपेदिक (2017-2025) □□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□) □□□□□□ □ो □□□□□□□□ □□□ (□) के उत्तर म दिए गए ह।

(□): ग□□□□ □□□□ f□□□□ (2018) □□□□□□□, अनुमानित मल्टी ड्रग रेसिस्टंट/रिफैम्पिसिन रेसिस्टंट (एमडीआर/आरआर) टीबी के रोगी को संख्या वैश्विक स्तर पर 558000 तथा भारत म 135000 है, □□ □□श□ म कुल मामलों को संख्या के मामले म सबसे अधिक है। भारत प्रति लाख आबादी को □□□□□□□ □ख□□ □□□□मले म एमडीआर आरआर टीबी (ग्लोबल टीबी रिपोट 2018) के लिए 30 उच्च बोझ वाले देशों □ 22□ स्□□□ □□ □□

(घ): पिछले तीन वर्षों म टीबी से पीड़ित रोगियों को राज्य / कद्रशासित प्रदेश-वार संख्या अनुलग्नक-1 □□ संलग्न है। पिछले तीन वर्षों म टीबी के कारण हुई मौतों को राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार संख्या अनुलग्नक-2 के रूप म संलग्न □□

(□): एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न नियामक उपाय किए ह। विवरण निम्नानुसार ह-

- □□□□□□f□क□ □□□ □□प्र□□□□ □□□ग्री □□□□, 1945 को अनुसूची एच और एच1 म शामिल ह और इन्ह रजिटड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पच के तहत केवल रिटेल द्वारा बेचा जाना आवश्यक है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स को □□□□ □□क□□□ □□ □□ उपलब्धता को सीमित करने हेतु एंटीबायोटिक दवाओं के मा□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ करने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 □ □□□□त्र □□□□□□□ □0 □□□□□□□ 588 (□), f□□□□ 30.08.2013 म संशोधन किया गया है, □□□□ 47 □□□ओं □□□क□ औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के तहत □□ □□, □□□□ □□□□□ □□1 □□□□□ □ा □□ □□□□□□ □□□□□□f□□ □□□□, एंटी टीबी ड्रग्स और आदत बनाने वाली कुछ दवाएं शामिल ह। अनुसूची एच 1 के तहत आने वाली दवाओं को निम्नलिखित शर्तों के साथ देश म बेचा जाना अपेक्षित है:

  - अनुसूची एच1 म निर्दिष्ट दवा को आपूर्ति को निर्धारित करने वाले व्यक्ति के □□□ □□ □□□□□ह□ □□f□ □□□□□ □□□□ □□ □□□, □□□ □□ □□□ □□ □□f□ □ा □□ मात्रा और इस तरह के रिकॉड को एक अलग रजिस्टर म दज किया जाएगा और □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□क्ष□ □□□□□ □□□ □□□□

  - □□□□□ □□1 म निर्दिष्ट दवा को आरएक्स □प्र□□□ □□□□□ □□□ f□□□ □□□□□ जो लाल रंग म होगा और लेबल के बाएं शीष के कोने पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित f□□□ □□□□□, और लाल बॉडर वाले बॉक्स म निम्नलिखित शब्दों के साथ लेबल □□ f□□□ □□□□□: "□□□□□ □□1 □□□-□□□□□□:

    - □□ □□□□ □श्र□ □□ □□क□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□
    - पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के पच के □□□□ □□□□ □□क्री □□ों f□□□ □□□□

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 28 (ई), f□□□□ 17.01.2012 □□□□□ □□□ □□□प्र□□□□ □□□ग्र□ □□□□ों □□ □□□□□□ f□□□ □□□ □□f□ □□ प्रावधान बनाया जा सके कि खाद्य उत्पादक जानवरों के इलाज के लिए एक दवा के कंटेनर को उस प्रजाति के लिए दवा को वापसी अवधि के साथ लेबल किया □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□

- □□□□□□, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने अपने दिनांक 03.06.2014 के पत्र सं. 102-74/2014-ट्रेड के तहत सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सभी निदेशकों/ आयुक्तों (पशुपालन) को एक परिपत्र जारी किया है और खाद्य उत्पादक बीमार जानवरों के उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाओं और हार्मोन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए □□ □□ □□□□□ निदशित किया f□ □□□आहार म एंटीबायोटिक्स और हार्मोन का उपयोग भी □□□ f□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ (□□) □□12.09.2014 □□ □□□ राज्यों/कद्रशासित प्रदेशों को एक सलाह जारी की है कि पशु आहार म एंटीबायोटिक्स और हार्मोन का उपयोग भी बंद किया जाना चाहिए।

□त्र□□□ □□□□□□ □□ 2025 तक समाप्त करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय तपेदिक (2017-2025) □□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□) □□□□□□ □ो □□
ध□□न दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार ह:

- □□□ □□□□ □□□□□ों □□ □□ग्र □□□□□, गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली दवाओं के साथ त्वरित □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□क्त □□□□ □□□□□□ प्र□□□□□ों □□□□□ □□□□□ □ो व्य□स□□□
- □□□□ क्षेत्र□ □ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ों □□□□ □□□□□□□□□
- उच्च जोखिम / कमजोर आबादी म सक्रिय रूप से केस का पता लगाने और सम्प□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
- एयरबोन संक्रमण नियंत्रण।
- सामाजिक निधारकों को दूर करने के लिए बहु-क्षेत्रीय प्रतिक्रिया।

अनुलग्नक 1

राज्य	उपचार किए गए टीबी के रोगियों की संख्या		
	2016	2017	2018
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	147	179	178
आंध्र प्रदेश	32178	49892	33354
अरुणाचल प्रदेश	901	648	837
असम	14593	12095	11434
बिहार	28841	21189	19096
चंडीगढ़	1156	1185	1163
छत्तीसगढ़	12349	11881	13044
दादरा और नगर हवेली	234	210	279
दमन और दीव	102	123	104
दिल्ली	17157	16543	14105
गोवा	614	601	506
गुजरात	45238	47022	43251
हरियाणा	17945	14464	16573
हिमाचल प्रदेश	6142	5806	6059
जम्मू और कश्मीर	4027	3478	2709
झारखंड	16190	15872	14226
कर्नाटक	26600	25648	29307
केरल	10433	8982	9384
लक्षद्वीप	22	10	29
मध्य प्रदेश	43302	41750	43341
महाराष्ट्र	48956	42415	43414
मणिपुर	696	603	585
मेघालय	1673	1198	848
मिजोरम	589	457	384
नागालैंड	1068	844	778
ओडिशा	20069	16278	20961
पुदुचेरी	657	672	745
पंजाब	15782	14654	14726
राजस्थान	39989	39613	37646
सिक्किम	475	381	294
तमिलनाडु	34404	33188	40293
तेलंगाना	18779	20264	19692
त्रिपुरा	1362	983	864
उत्तर प्रदेश	112973	81622	76760
उत्तराखंड	5852	4761	4659
पश्चिम बंगाल	43272	40626	41089
कुल	6,24,767	5,55,904	5,62,717

भारत म टीबी के कारण हुई मौतों को राज्य-वार संख्या

राज्य	2014	2015	2016
अंडमान और निकोबार	38	17	21
आंध्र प्रदेश	3089	2764	4537
अरुणाचल प्रदेश	68	74	39
असम	1759	1785	1588
बिहार	1914	1800	1415
चंडीगढ़	48	65	68
छत्तीसगढ़	1350	1436	1596
दादरा और नगर हवेली	18	18	15
दमन और दीव	9	14	14
दिल्ली	1281	1296	1370
गोवा	52	45	49
गुजरात	4312	4657	5087
हरियाणा	1709	1700	1543
हिमाचल प्रदेश	537	539	547
जम्मू और कश्मीर	292	316	342
झारखंड	1465	1192	994
कर्नाटक	4348	4192	3958
केरल	1084	953	961
लक्षद्वीप	2	1	1
मध्य प्रदेश	3574	3761	3816
महाराष्ट्र	7629	6904	6121
मणिपुर	75	77	54
मेघालय	190	214	164
मिजोरम	87	93	56
नागालैंड	77	44	49
ओडिशा	2451	2380	2162
पुदुचेरी	64	55	63
पंजाब	1989	1786	1799
राजस्थान	3428	3667	3877
सिक्किम	222	38	44
तमिलनाडु	4095	4205	4118
तेलंगाना	2050	1926	0
त्रिपुरा	141	162	113
उत्तर प्रदेश	8736	10233	8256
उत्तराखंड	537	512	443
पश्चिम बंगाल	4506	4376	4448
कुल	63226	63297	59728